प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.04.2026

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, हिण्डन पुल से स्नैचिंग किया हुआ 01 मोबाइल फोन व लिंकरोड से चोरी की हुई मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तारी / पुलिस मुठभेड़ का विवरण – आज दिनांकः 29/30.04.2026 को साहिबाबाद पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि थाना साहिबाबाद के मु0अ0सं0 152/2026 में वांछित अपराधी व एक अन्य व्यक्ति स्पलेंडर मोटर साइकिल से थाना लिंकरोड से थाना साहिबाबाद की तरफ आने वाला है। सूचना पर थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास अंडर पास के जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की सघन चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में एक स्पलेन्डर मोटर साइकिल पर 02 व्यक्ति आते हुये दिखाई दिये। जिसे मौजूद पुलिस टीम द्वारा रोककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन मोटर साइकिल चालक के द्वारा मोटर साइकिल को ना रोकते हुए मोटर साइकिल की स्पीड़ तेजकर भागने लगा। जिसके क्रम में पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल का पीछा किया गया। आगे जाकर मोटर साइकिल अनियंत्रित होकर फिसल कर गिर गई तथा बदमाश ने भागते हुए अपने आप को घिरता हुआ देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दूसरा अन्य व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया।। तत्काल ही उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा साहस का परिचय देते हुए बदमाश को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम पवन उर्फ मोनू पुत्र लोकमन निवासी हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष बताया। जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, हिण्डन पुल से स्नैचिंग किया हुआ 01 मोबाइल फोन व लिंकरोड से चोरी की हुई मोटर साइकिल बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त गाजियाबाद व एनसीआर क्षेत्र में लूट/स्नैचिंग व चोरी की घटना कारित करता है। दिनांक 30 मार्च को थाना क्षेत्र साहिबाबाद में हुई मोबाइल चोरी की घटना कारित की गई थी तथा अभियुक्त के कब्जे से बरामद चोरी की मोटर साइकिल जो कि दिनांक 17.04.2026 को थाना लिंकरोड़ से चोरी होना पाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से अन्य जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

पवन उर्फ मोनू पुत्र लोकमन निवासी हर्ष विहार थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, हिण्डन पुल से स्नैचिंग किया हुआ 01 मोबाइल फोन व लिंकरोड से चोरी की हुई मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

* गिरफ्तार अभियुक्त पवन उर्फ मोनू पुत्र लोकमन उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद एनसीआर क्षेत्र में लूट, स्नैचिंग आदि से सम्बन्धित लगभग एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

स्वाट टीम, अपराध शाखा कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना कौशाम्बी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-113/2026 धारा 304(2) बी0एन0एस0 में वांछित अपराधी पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 01 कुंडल पीली धातु, 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर, 02 खोखा कारतूस 0.315 बोर, बिना नंबर की स्पलेंडर मोटर साइकिल बरामद।

पुलिस मुठभेड/गिरफ्तारी का विवरणद- आज दिनांकः 29.04.2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि थाना कौशाम्बी के मु0अ0सं0 113/2026 में वांछित अपराधी व एक अन्य व्यक्ति एक बिना नंबर की स्पलेंडर मोटर साइकिल से थाना क्षेत्र कौशांबी क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना पर स्वाट टीम, अपराध शाखा तथा थाना कौशाम्बी पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्र कौशांबी में 2/5 पुलिया रोड एलिवेटेड रोड के नीचे चैकिंग करने लगे। दौराने चैकिंग 01 बिना नंबर की स्पलेंडर मोटर साइकिल पर 02 व्यक्ति सामने से आते दिखाई दिये, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो पुलिस चैकिंग व पुलिस टीम से घिरता देख मोटर साइकिल सवार दोनों व्यक्ति मोटर साइकिल को मोड़कर वापस भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर मोटर साइकिल को छोड़कर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। जबाबी कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ में भाग रहा एक व्यक्ति दोनों पैरों में गोली लगने से घायल होकर गिर गया। जिसको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। दूसरा अन्य व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया।

पूछताछ पर घायल व्यक्ति ने अपना नाम अब्दुल पुत्र सलाम निवासी गांव बनिया ग्राम थाना फरक्का जनपद मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हाल पता मकनपुर थाना इंद्रापुरम गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष बताया एवं मोटर साइकिल सवार व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया।

उक्त अभियुक्त थाना कौशाम्बी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-113/2026 धारा 304(2) बी0एन0एस0 में फरार चल रहा था। जिसकी विवेचना थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा की जा रही थी।

’गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता- ’

(1). अब्दुल पुत्र सलाम निवासी गांव बनिया ग्राम थाना फरक्का जनपद मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हाल पता मकनपुर थाना इंद्रापुरम गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष

आपराधिक इतिहासः आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण -01 कुंडल पीली धातु, 01 अवैध देशी तमंचा 0.315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर, 02 खोखा कारतूस 0.315 बोर एवं एक बिना नंबर की स्पलेंडर मोटर साइकिल बरामद।

' गिरफ्तार करने वाली टीम -'

(1)-स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

(2)-थाना कौशाम्बी पुलिस टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 17.04.2026 को वादिया द्वारा थाना लोनी पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त जहूर हसन पुत्र मोहम्मद शहीद निवासी निकट बिलाल मस्जिद अशोक विहार थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा वादिया की बेटी उम्र करीब 10 वर्ष के साथ गलत हरकत करना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 76 बीएनएस व 9M/10 पॉक्सो अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 76 बीएनएस व 9M/10 पॉक्सो अधिनियम का विलोप कर धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 30.04.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त जहूर हसन पुत्र मोहम्मद शहीद निवासी निकट बिलाल मस्जिद अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा और वादिया का एक-दूसरे के घर आना जाना था। मैंने वादिया की नाबालिग पुत्री को लालच देकर, बहला-फुसलाकर अपने पास बुलाया तथा मौका पाकर उसके साथ गलत काम कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

जहूर हसन पुत्र मोहम्मद शहीद निवासी निकट बिलाल मस्जिद अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 75 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर व 01 अवैध पिस्टल .32 बोर बरामद।

दिनांक 30.04.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ 02 अभियुक्तगण 1.समद पुत्र शहजाद निवासी इकराम नगर लोनी गाजियाबाद 2.दानिश पुत्र शहजाद निवासी इकराम नगर लोनी गाजियाबाद को लालबाग कीकरों के जंगल के पास थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर व 01 अवैध पिस्टल .32 बोर बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 3/25/29 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों ने यह अवैध तमंचा व पिस्टल लोगों में रौब जमाने और शौक के लिये अपने पास रखा हुआ था जिन्हें हमने कुछ समय पहले राजा निवासी गाजियाबाद व आरिश पुत्र रईसुद्दीन निवासी लोनी गाजियाबाद से लिया था। हम दोनों इस अवैध तमंचे, कारतूस व पिस्टल को लेकर निकले थे कि पुलिस चैकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1.समद पुत्र शहजाद निवासी इकराम नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।
2.दानिश पुत्र शहजाद निवासी इकराम नगर लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण का विवरण –

1.राजा पुत्र नामालूम निवासी गाजियाबाद, 2.आरिश पुत्र रईसुद्दीन निवासी लोनी गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण -

01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर व 01 अवैध पिस्टल .32 बोर।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम